न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 169/15 वाद

1. रमेश नागदा पिता रोशनलाल नागदा निवासी सीसारमा तह. गिर्वा उदयपुर।

वादी

बनाम

1. छगनलाल पिता इन्दरलाल ब्राहमण निवासी सीसारमा तह. गिर्वा उदयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम श्री नरेश जणवा अधिवक्ता वादी, हर्षद जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सह–खातेदारी की भूमि मौजा सीसारमा पटवार मण्डल सीसारमा तह. गिर्वा में आराजी संख्या 3572, 3585, 3586, 3595 कुल किता 4 रकबा 0.7200 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का जबानी बंटवाडा कर रखा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नही हुआ है। बंटवाडा नही होने से वादी अपनी भूमि का मनचाहा विकास नही कर पा रहा है। वादकारण दिनांक 09.09.2015 को वादी द्वारा बंटवाडा हेतु कहने पर प्रतिवादी के मना करने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा फरमाया जावें एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा नियमानुसार बंटवाडा कराने हेतु सहमत होने से वादी का वाद का वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गिर्वा को 500/– रूपये के शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम सीसारमा, पटवार मण्डल सीसारमा की आराजी संख्या 3572, 3585, 3586, 3595 कुल किता 4 रकबा 0.7200 हैक्टयर का हाल जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार गिर्वा के पत्रांकः राजस्व/

18/103 दिनांक 25.01.2018 द्वारा पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र से सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अभयपक्ष अधिवक्ताओं का बंटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही कर बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की जाने से प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है:—

1— रमेश पिता रोशनलाल नागदा ब्राहमण सा.देह खातेदार

आ.स.	रकबा
3572	0.0150
3585मीन	0.2050
3586	0.1000
3595/1	0.0400

किता 4 रकबा 0.3600

2— छगनलाल पिता इन्दरलाल ब्राहमण सा.देह खातेदार

आ.स.	रकबा
3585/1	0.0650
3595मीन	0.2950

किता 2 रकबा 0.3600

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौजा सीसारमा पटवार मण्डल सीसारमा तह. गिर्वा में आराजी संख्या 3572, 3585, 3586, 3595 कुल किता 4 रकबा 0.7200 हैक्टयर भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बंटवाडा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(कमर चौधरी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा — उदयपुर